"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल 2016— चैत्र 18, शक 1938

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक /पं./14वें वित्त/2016/99. — राज्य शासन एतद्द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन के 10 प्रतिशत कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदाय करने हेतु कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण की प्रक्रिया/नियम निम्नानुसार निर्धारित करती है। ये नियम दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रभावशील होंगे :-

14वें वित्त आयोग अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण हेतु प्रक्रिया

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कुल आबंटन का 10% कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदाय किया जायेगा। 14वें वित्त आयोग में कार्य निष्पादन अनुदान निम्नलिखित मुद्दो को संबोधित करने हेतु है -

> स्थानीय निकायों के आय व्यय पर अंकेक्षण किये हुये खातों के माध्यम से विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना।

> स्वयं के स्त्रोत राजस्व में सुधार करना। यह अनुदान 14वें वित्त आयोग के द्वितीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17 से प्रदान किया जायेगा, ताकि राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के पास इन अनुदानों से संबद्ध मार्गदर्शिकाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना एवं तंत्र विकसित करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकें। इस संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. चूंकि कार्य निष्पादन अनुदान कुल आबंटन का 10% प्राप्त होगा, अतएव किसी पंचायत को प्राप्त मूल अनुदान के अधिकतम 10% तक की ही राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

2. इस हेतु कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त होने पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के मध्य 10% की गणना के लिये उसी मापदण्ड के अनुरूप गणना की जायेगी, जिस मापदण्ड के द्वारा मूल अनुदान का वितरण किया गया है। इससे पंचायतवार 10% राशि की जानकारी प्राप्त हो जावेगी।

3. 10 प्रतिशत कार्य निष्पादन अनुदान की राशि जिलों को पात्र ग्राम पंचायतों के मध्य वितरण करने हेतु दी जावेगी।

4. प्रत्येक ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान के मापदण्ड के विरुद्ध पूर्ण पात्रता प्राप्त करने पर ही उसे उपरोक्त कण्डिका में की गयी गणना के अनुसार उसकी पंचायत के लिये निर्धारित अधिकतम 10% की राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5. कार्य निष्पादन अनुदान की राशि पात्र ग्राम पंचायतों को वितरित करने के उपरांत यदि कार्य निष्पादन अनुदान की कुछ राशि शेष रह जाती है, तो यह राशि समस्त पात्र ग्राम पंचायतों के मध्य न्यायोचित रूप से वितरित की जायेगी।

6. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, वित्त आयोग आदि से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि तथा उस पर प्राप्त ब्याज की राशि को पंचायत की राजस्व में वृद्धि/कमी की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अनुदान/क्षतिपूर्ति यथा खनिज विभाग से प्राप्त होने वाली राशि मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त होने वाली राशि तथा उस पर प्राप्त ब्याज की राशि आदि भी पंचायत की राजस्व में वृद्धि या कमी की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लिये केन्द्र/राज्य सरकार, आयोग/प्राधिकरण से निर्माण/विकास कार्यों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये प्राप्त होने वाली राशि तथा उस पर प्राप्त ब्याज की राशि को पंचायत की राजस्व में वृद्धि/कमी की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

7. कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए ग्राम पंचायतों को पात्रता प्राप्त करने के लिये 14वें वित्त आयोग द्वारा जो शर्तें बताई गई हैं उसकी मूल मंशा यह प्रतीत होती है कि ग्राम पंचायतों के आय व्यय के लेखा आंकड़े व्यवस्थित एवं सुस्पष्ट रहें। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वयं की आय करों के अधिरोपण तथा अन्य संसाधनों से निर्मित की जाये। ताकि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो सके। 14वें वित्त आयोग की यह भी मंशा प्रतीत होती है कि ग्राम पंचायतें उत्तरोत्तर अपनी आय में वृद्धि करें और उसके माध्यम से पंचायतों का विकास करें। 14वें वित्त आयोग की मंशा के अनुरूप अमल होने पर ग्राम पंचायतों की राजस्व में निरंतर वृद्धि होगी और धीरे-धीरे ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के आय स्त्रोत का निर्माण करेंगी जिससे शासकीय अनुदानों पर उनकी निर्भरता क्रमश: कम होगी।

8. 14वें वित्त आयोग के उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये 02 बिन्दुओं के अतिरिक्त 03 अन्य बिन्दु जोड़कर निम्नानुसार पात्रता शर्तें निर्धारित किया जाता है :-

क. पंचायत द्वारा करों का आरोपण पूर्णत: किया जाना।

ख. पंचायत द्वारा आरोपित कर के विरुद्ध की गयी कुल वसूली।

ग. पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के राजस्व में वृद्धि दर्शित होना।

घ. ग्राम पंचायत के दो वर्ष पूर्व का अंकेक्षित लेखा पूर्ण होना।

ङ. वर्ष में 06 अनिवार्य ग्राम सभा का आयोजन और उसमें करों के आरोपण तथा उसकी वसूली के व्यक्तिवार आंकड़े प्रस्तुत करना।

चूंकि उपरोक्त पांचों शर्तें अत्यंत महत्वपूर्ण है अत: कार्य निष्पादन अनुदान के पांच हिस्से किये जाये और पांचों हिस्सों की पूर्ति होने पर ही कार्य निष्पादन अनुदान की पूर्ण राशि जारी की जाये। इस हेतु पांचों हिस्सों के लिए 20-20 अंक प्रत्येक हिस्से हेतु रखा जावे।

उपरोक्तानुसार पांचों शर्तों के संबंध में बिन्दुवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क. पंचायत द्वारा करो का आरोपण पूर्णतः किया जाना –

ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्त्रोत अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों के अधिरोपण तथा निर्धारित फीस के विरूद्ध वसूली के माध्यम से ही है। इस हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त अचल संपत्ति तथा सेवाओं पर करो का अधिरोपण तथा फीस की वसूली पूर्ण रूप से करें। ग्राम पंचायतों द्वारा करो का आरोपण पूर्ण रूप से किया गया है अथवा नहीं इसकी जांच के लिये ग्राम पंचायत में स्थित अचल संपत्तियों, सेवाओं तथा अन्य संसाधनों की जानकारी संलग्न ***प्रपत्र–01*** में प्राप्त की जा सकती है। इस प्रपत्र में जिले या स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कॉलम जोड़े या घटाये जा सकते है। प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने पर इसकी जॉच आसानी से की जा सकती है कि पंचायतों द्वारा सभी अचल सम्पत्तियों तथा सेवाओं पर पूर्ण रूप से करारोपण किया गया है अथवा नहीं। इस प्रपत्र की जानकारी को वर्ष में 06 बार होने वाली अनिवार्य ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि ग्राम सभा को करारोपण के संबंध में अद्यतन जानकारी हो सके। इससे ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यो तथा करो के पूर्णतः आरोपण की प्रभावी निगरानी कर सकेगी।

ग्राम पंचायत द्वारा करों का पूर्णतः अधिरोपण किया जाना इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि यदि अधिरोपण होगा तभी उसके आगे की प्रक्रिया अर्थात वसूली की कार्यवाही हो सकेगी। यदि तत्काल वसूली न भी हो पाये तो करों के अधिरोपित हो जाने के पश्चात् लंबित वसूली व्यक्ति/संस्था विशेष के विरूद्ध परिलक्षित होगी और ग्राम पंचायत से नो–ड्यूिस अपेक्षित होने पर व्यक्ति/संस्था विशेष को उसे पटाना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में पंचायत की आय में स्वमेव वृद्धि होगी। यदि ग्राम पंचायत द्वारा करों का पूर्ण अधिरोपण कर दिया जाता है तो उसे 20 अंक दिया जावेगा।

ख. पंचायत द्वारा अधिरोपित कर के विरूद्ध की गयी कुल वसूली –

ग्राम पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करों के विरूद्ध कर की वसूली के प्रतिशत को मूल्यांकन का मापदण्ड रखा जा सकता है। इससे ग्राम पंचायतें अधिरोपित करों के विरूद्ध अधिकाधिक वसूली किये जाने हेतु प्रोत्साहित होंगी। इस हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा सकल अधिरोपित अनिवार्य एवं वैकल्पिक कर तथा फीस के संग्रहण, पंचायत में अन्य संसाधन से होने वाली आय के विरूद्ध 25 प्रतिशत तक की कुल वसूली किये जाने पर उस ग्राम पंचायत को 10 अंक दिया जावेगा। किन्तु यदि ग्राम पंचायत 25 प्रतिशत से अधिक वसूली करती है तो उन्हें अपने ग्राम पंचायत को 20 अंक दिया जायेगा। इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि करने के लिये पंचायत पदाधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और करों की अधिक से अधिक वसूली संभव हो सकेगी। करों से अधिक राशि प्राप्त होने पर ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकेंगी।

ग. ग्राम पंचायतों की आय में पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के राजस्व में वृद्धि दर्शित होना –

ग्राम पंचायतें प्रयास कर अपने राजस्व में गतवर्ष की तुलना में अधिक वसूली तभी करेंगी, जब उन्हें इस हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। अतएव ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित अनिवार्य एवं वैकल्पिक कर तथा फीस की वसूली में यदि पूर्व वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो उस ग्राम पंचायत को 10 अंक दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि ग्राम पंचायतें 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि कर वसूली करती है तो उन्हें उस ग्राम पंचायत को 20 अंक दिया जायेगा।

इस व्यवस्था से पंचायतों में अधिकाधिक कर अधिरोपण एवं वसूली के प्रति रूचि जागृत होगी, तथा पंचायतें अधिक से अधिक वसूली करना चाहेगीं, जिससे उन्हें उनके हिस्से का पूर्ण कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त हो सके।

ग्राम पंचायतों की आय में गतवर्ष की आय से तुलना करने के लिये निर्धारित ***प्रपत्र–02*** में जानकारी तैयार की जा सकती है, जिसमें अनिवार्य कर, वैकल्पिक कर और फीस संग्रहण आदि की जानकारी संकलित की जा सकती है। इस पत्रक में भी जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कॉलम जोड़े या घटाये जा सकते है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि कार्य निष्पादन अनुदान वर्ष 2016–17 में प्रथम बार प्राप्त होगा, जिसके लिये वर्ष 2014–15 के अंकेक्षित लेखा के आंकड़े देखे जायेंगे । अतः ऐसी स्थिति में वर्ष 2014–15 के अंकेक्षित आंकड़ों में वृद्धि ज्ञात करने के लिए वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित आकड़ों से तुलना की जा कर तुलनात्मक वृद्धि ज्ञात की जायेगी ।

घ. ग्राम पंचायत के दो वर्ष पूर्व का अंकेक्षित लेखा पूर्ण होना –

ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता प्राप्त करने के लिये प्रथम शर्त उनके विगत दो वर्ष पूर्व का लेखा अंकेक्षण पूर्ण होना अनिवार्य होगा। चूंकि वर्ष 2016–17 में प्रथम बार कार्य निष्पादन अनुदान के लिये राशि प्राप्त होगी, जिसके लिये दो वित्तीय वर्ष पूर्व का अंकेक्षित लेखा वर्ष 2014–15 का होगा। इसी प्रकार वर्ष वर्ष 2019–20 तक के लिये निम्नानुसार अंकेक्षित लेखा का होना अनिवार्य होगा :–

क्रमांक	कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण का वर्ष	आवश्यक अंकेक्षित लेखा का वर्ष
1	2016–17	2014–15
2.	2017–18	2015–16
3	2018–19	2016–17
4	2019–20	2017–18

ग्राम पंचायतों के अंकेक्षित लेखा के संबंध में निर्धारित ***प्रपत्र–03*** में ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी भरी जाकर जनपद पंचायत ***प्रपत्र–03(अ)*** में संकलित की जायेगी। जनपद पंचायत प्राप्त जानकारी की पुष्टि कर उसे निर्धारित ***प्रपत्र–05*** में जिला पंचायतों को भेजेंगे। जिला पंचायतें प्राप्त जानकारी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे।

ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण के समय उपरोक्तानुसार संबंधित वर्ष हेतु आवश्यक वर्ष का अंकेक्षित लेखा पूर्ण होने पर उस ग्राम पंचायत को 20 अंक दिया जावेगा।

ड. करो के आरोपण तथा उसकी वसूली के व्यक्तिवार आंकडों को वर्ष में होने वाली 06 अनिवार्य ग्राम सभा में प्रस्तुत करना –

राज्य शासन के द्वारा प्रतिवर्ष ग्राम पंचायतों को निम्नानुसार 06 ग्राम सभा अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं :–

क्रं.	ग्राम सभा का दिनांक /माह
1	23 जनवरी
2	14 अप्रैल
3	माह जून
4	20 अगस्त
5	02 अक्टूबर
6	माह नवम्बर

प्रत्येक ग्राम पंचायत के द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष होने वाली 06 अनिवार्य ग्राम सभाओं में अचल संपत्तियों, सेवाओं तथा अन्य संसाधनों के प्रपत्र की जानकारी, परिक्षित लेखा की रिपोर्ट एवं उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार अनिवार्य/वैकल्पिक करारोपण तथा निर्धारित फीस की जानकारी एवं उनकी वसूली के व्यक्तिगत ब्यौरे तथा धारा–7 में उल्लेखित विषयों को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। इस व्यवस्था से ग्रामीण जनों को ग्राम सभा में ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्य तथा अर्जित आय के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। चूँकि ग्राम सभा में उपरोक्त जानकारी रखी जायेगी। अतः यदि किसी व्यक्ति/संस्था विशेष की सम्पत्ति या फीस पर करों का आरोपण नहीं हुआ है तो ग्राम सभा में इस पर स्वमेव चर्चा हो सकती है और ऐसी स्थिति में पंचायत को पूर्ण करारोपण करना अनिवार्य हो जायेगा। इसी प्रकार ग्राम सभा में करों की वसूली एवं बकाया की जानकारी होने पर ऐसे बकायादार अपने करों को पटाने के लिये सामाजिक दबाव के कारण बाध्य होंगे और पंचायत के आय में स्वमेव वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपना कर पटा चुके है वे ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगें, जिसके फलस्वरूप ग्राम सभा मजबूत होगी, जो पंचायतीराज व्यवस्था के लिये सार्थक होगा। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा के आयोजन को कार्य निष्पादन अनुदान के मूल्यांकन में जोड़ने का एक प्रमुख लाभ यह भी होगा कि इसे ग्राम पंचायतें 06 अनिवार्य ग्राम सभा करने के लिए बाध्य होंगी और यदि ग्राम सभा होगी तो निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

ग्राम पंचायतों से कार्य निष्पादन अनुदान की गणना के मूल्यांकन के लिये निर्धारित ***प्रपत्र–04*** में जानकारी मंगाई जा सकती है। प्रपत्र में कॉलम आवश्यकतानुसार बढ़ाये/घटाये जा सकते है। जनपद पंचायत स्तर पर प्रपत्र की जॉच कर पुष्टि की जा सकती है।

यदि ग्राम पंचायतों के द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ग्राम सभा की जाती है तो उस ग्राम पंचायत को 20 अंक दिया जावेगा। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कार्य निष्पादन अनुदान वर्ष 2016–17 में प्रथम बार प्रदाय किया जायेगा। अतएव ऐसी स्थिति में वर्ष 2016–17 के कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता के मूल्यांकन के लिये कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त होने के दिनांक तक तथा इस प्रक्रिया नियम के जारी होने के बाद से वर्ष 2016–17 में जितनी ग्राम सभाएँ हुई होंगी उस वर्ष उतनी ग्राम सभाओं के आधार पर ही मूल्यांकन किया जावेगा। वर्ष 2017–18 के लिये कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त होने के दिनांक से पूर्व की 06 ग्राम सभाओं को लेकर मूल्यांकन किया जायेगा।

9. जिले की जनपद पंचायत के द्वारा उपरोक्त पांच शर्तो के संबंध में ग्राम पंचायतों से निर्धारित प्रपत्र 01 से 04 में जानकारी एकत्रित की जायेगी और प्राप्त जानकारी का परीक्षण कर उसे निर्धारित प्रपत्र 05 में भरकर जिला पंचायत को अग्रेषित किया जावेगा। जिला पंचायतों के द्वारा प्रपत्र 05 में प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राम पंचायतवार मूल्यांकन किया जाकर ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले अंको व कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता राशि का निर्धारण किया जायेगा ।

10. जिला पंचायतों के द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता निर्धारित करने के तीन दिवस के भीतर पात्र ग्राम पंचायतों को उनकी पात्रता के अनुरूप कार्य निष्पादन अनुदान की राशि जारी की जायेगी । ग्राम पंचायतें प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान को अपने अनुमोदित जी.पी.डी.पी. के अनुरूप व्यय कर सकेंगी।

11. कार्य निष्पादन अनुदान के लिए कोई ग्राम पंचायत तभी पात्र होंगी जब पांचों शर्तो की पूर्ति उनके द्वारा की जाय। इस प्रकार कार्य निष्पादन अनुदान के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 80 अंक पांचों शर्तो को मिलाकर किसी ग्राम पंचायत को प्राप्त होने चाहिए अथवा उस ग्राम पंचायत को पांचों शर्तो में अधिकतम 100 अंक प्राप्त हो सकते हैं। जितने अंक उस ग्राम पंचायत को प्राप्त होंगे उसी के अनुरूप उस पंचायत के लिए निर्धारित कार्य निष्पादन अनुदान की 80 प्रतिशत अथवा 100 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत को जारी की जावेगी।

12. **कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण पश्चात शेष राशि का वितरण –**

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पात्र ग्राम पंचायतों को उनकी पात्रतानुसार कार्य निष्पादन अनुदान राशि जारी करने के पश्चात् यदि कोई राशि शेष रह जाती है तो उस राशि का वितरण प्रदेश की समस्त पात्र ग्राम पंचायतों के मध्य न्यायोचित तरीके से किया जाना है। इस शेष राशि को पात्र ग्राम पंचायतों में वितरित किये जाने हेतु पृथक से इस बिन्दु के लिये पात्रता का निर्धारण किया जाना उचित होगा।

कार्य निष्पादन अनुदान की शेष राशि प्राप्त करने के लिये वे ग्राम पंचायत पात्र समझी जायेंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम निम्नलिखित तीन शर्तो की पूर्ति की गई हो :–

(1) ग्राम पंचायत द्वारा करों का अधिरोपण पूर्ण रूप से कर 20 अंक प्राप्त करना चाहिये।

(2) ग्राम पंचायत को 02 पूर्व वर्ष का अंकेक्षित लेखा पूर्ण कर 20 अंक प्राप्त करना चाहिये।

(3) ग्राम पंचायत द्वारा 06 अनिवार्य ग्राम सभा में करों के आरोपण उनकी वसूली के व्यक्तिवार विवरण प्रस्तुत कर 20 अंक प्राप्त करना चाहिये।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं की पूर्ति होने पर ही जिन ग्राम पंचायत को 60 अंक प्राप्त होंगे, वही ग्राम पंचायतें शेष बची हुई कार्य निष्पादन अनुदान की राशि के वितरण के लिए पात्र पंचायत मानी जावेंगी। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि कार्य निष्पादन अनुदान की इस शेष बची हुई राशि के लिये वे ग्राम पंचायतें भी पात्र होंगी जिन्होने 80–100 अंक प्राप्त कर कार्य निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त कर ली होगी। शेष बची हुई कार्य निष्पादन अनुदान की राशि इन पात्र पंचायतों के मध्य उसी मापदण्ड के अनुरूप वितरित की जावेगी, जिस मापदण्ड से 90 प्रतिशत मूल अनुदान का वितरण हुआ है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

प्रपत्र – 01

ग्राम पचांयत में उपलब्ध परिसम्मत्ति एवं सुविधाएं

ग्राम पंचायत का नाम– .... जनपद पंचायत का नाम– ....

क्रं.	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16 के विषय		रिमार्क
	परिसमत्तियां / सुविधाएं	संख्या	परिसमत्तियां / सुविधाएं	संख्या	
1	2	3	4	5	6
	1- कितने मकान है ? (कच्चा एवं पक्का मकान पृथक–पृथक)				
	2- कितनी दुकानें है ?				
	3- बाजार लगता है कि नही ? (सप्ताहिक / दैनिक)				
	4- व्यवसायी की संख्या ?				
	5- ग्राम पंचायत में कितने तालाब है :– 1. निस्तारी तालाब 2. आर्थिक गतिविधियों से जुडे तालाब				
	6- ग्राम पंचायत में मोबाईल टावर				
	7- ग्रा.पं. में स्थापित व्यावसायिक डिस एन्टीना की संख्या				
	8- ग्रा.पं. में व्यावसायिक परिसर अंतर्गत दुकानों की संख्या				
	9- विज्ञापन के होल्डिंग कितने है ?				
	10- कांजी हाउस में निरूद्ध पशुओं की संख्या				
	11- गांव में चल रहे उदयोग की संख्या				
	12- स्ट्रीट लाईट की सुविधा है कि नही ?				
	13- पेयजल की आपूर्ति है या नही ?				
	14- ग्रा. पं. में कुल कय–विकय पशुओं की संख्या				
	15- ग्रा.पं. से जारी प्रमाण पत्रों की संख्या				
	16- अन्य				

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
सरपंच

प्रपत्र–02

कार्य निष्पादन अनुदान हेतु समेकित आय की गणना के लिये प्रपत्र

ग्राम पंचायत का नाम– .... जनपद पंचायत का नाम– ....

क्र.	वर्ष 2014–15 के अंकेक्षित लेखा अनुसार		वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित लेखा अनुसार		तुलनात्मक अन्तर (प्रतिशत में)	रिमार्क
	कर	आय	कर	आय		
1	2	3	4	5	6	7
	अनिवार्य कर		अनिवार्य कर			
	1. सम्पत्ति कर		1. सम्पत्ति कर			
	2. प्रकाश कर		2. प्रकाश कर			
	3. वृत्ति कर		3. वृत्ति कर			
	4. बाजार फीस		4. बाजार फीस			
	5. पशु पंजी फीस		5. पशु पंजी फीस			
	6. सण्डास सफाई		6. सण्डास सफाई			
	वैकल्पिक कर		वैकल्पिक कर			
	1. जलकर		1. जलकर			
	2. जल निकास कर		2. जल निकार कर			
	3. गल्ला लायसेंस		3. गल्ला लायसेंस			
	4. अन्य कर		4. अन्य कर			
	अन्य फीस		अन्य फीस			
	1. तालाब लीज		1. तालाब लीज			
	2. कांजी हाउस		2. कांजी हाउस			
	3. भवन किराया		3. भवन किराया			
	4. निवास एवं जाति आय प्रमाण इत्यादि प्रमाण पत्रों से		4. निवास एवं जाति आय प्रमाण इत्यादि प्रमाण पत्रों से			
	5. भूमि क्रय–विक्रय नामांतरण, फौती, बटवारा		5. भूमि क्रय–विक्रय नामांतरण, फौती, बटवारा			
	6. पंचायत के अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत निर्माण का नियमिति करण		6. पंचायत के अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत निर्माण का नियमिति करण			
	7. होटल, ढाबा, मोटर गाड़ी, मरम्मत अनुज्ञा नवीनीकरण		7. होटल ढाबा मोटर गाड़ी मरम्मत अनुज्ञा नवीनीकरण			
	8. पाईप द्वारा जल प्रदाय आवेदन शुल्क		8. पाईप द्वारा जल प्रदाय आवेदन शुल्क			
	9. अन्य आवेदन फीस		9. अन्य आवेदन फीस			

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
सरपंच

प्रपत्र –03

कार्यालय ग्राम पंचायत .... के अंकेक्षित लेखा की जानकारी का प्रपत्र

1.	ग्राम पंचायत का नाम	–	....
2.	जनपद पंचायत का नाम	–	....
3.	जिला पंचायत का नाम	–	....
4.	ग्राम पंचायत की लेखा का अंकेक्षण वर्ष	–	....
5.	अंकेक्षण टीप जारी होने का दिनांक	–	....
6.	अंकेक्षणकर्त्ता का नाम	–	....

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
सरपंच

प्रपत्र—03 (अ)

अंकेक्षित लेखा की जानकारी का प्रपत्र

जनपद पंचायत का नाम – .... दिनांक – ....

क्र.	ग्राम पचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	जिला पंचायत का नाम	वर्ष 2014—15 के अंकेक्षित लेखा			रिमार्क
				अंकेक्षक का नाम एवं पदनाम	अंकेक्षण पूर्ण होने का दिनांक	अंकेक्षण टीप प्राप्त होने का दिनांक	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत

प्रपत्र–4

कार्य निष्पादन अनुदान की गणना के लिये ग्रामसभा से संबंधित जानकारी वर्ष ....

ग्राम पंचायत का नाम– .... जनपद पंचायत का नाम– .... दिनांक – ....

क्रमांक	वित्तीय वर्ष में आयोजित ग्राम सभा की तिथि	कोरम की प्रतिपूर्ति	ग्राम सभा में प्रस्तुत विषय धारा–7 के अनुसार	रिमार्क
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
सरपंच

प्रपत्र–05

कार्य निष्पादन अनुदान की गणना के लिये मूल्यांकन का प्रपत्र

जनपद पंचायत का नाम – .... जिला पंचायत का नाम – ....

अनु क्र.	ग्राम पंचा. का नाम	ग्राम सभा आयोजन हेतु उपस्थित अधिकारी का नाम	करो का आरोपण पूर्णतः किया गया अथवा नहीं	करो के आरोपण के लिए प्राप्त अंक	ग्राम पंचा. के द्वारा करो की वसूली का प्रतिशत	करो की वसूली के लिए प्राप्त अंक	गतवर्ष की तुलना में ग्राम पंचा. की आय में वृद्धि का प्रतिशत	आय मे वृद्धि के लिए प्राप्त अंक	वर्ष 2014–15 का अंकेक्षित लेखा पूर्ण होने का दिनांक	अंकेक्षित लेखा के लिए प्राप्त अंक	अनिवार्य ग्रामसभा के आयोजन की तिथि						ग्राम सभा आयोजन के लिए प्राप्त अंक	कुल प्राप्त अंक (5+7+9+11+18)
											प्रथम ग्राम सभा	द्वितीय ग्राम सभा	तृतीय ग्राम सभा	चतुर्थ ग्राम सभा	पंचम ग्राम सभा	षष्ठम ग्राम सभा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

audit letter 1

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.